(TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION-3 SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA (EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the \ 5th March, 2000

NOTIFICATION

G.S.R. - Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Morocco for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to Taxes on income has come into force on the 20th day of February, 2000, on the notification by both the Contracting States to each other, under Article 29 of the said Convention, of the completion of the procedures required by their respective laws for bringing into force of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

CONVENTION

BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE KINGDOM OF MOROGCO FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO

DESIRING to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

HAVE Agreed as follows:

SCOPE OF THE CONVENTION

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

- 1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
- 2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.
- 3. The existing taxes to which this Convention shall apply are in particular.
 - (a) In the Republic of India:
 the income-tax, including any surcharge thereon;
 (hereinafter referred to as "Indian tax")
 - (b) In the Kingdom of Morocco:
 - (i) General income tax;
 - (ii) corporation tax;
 - (iii) the tax on income from the shares or social parts and assimilated income;
 - (iv) the tax on immovable property profits;
 - (v) the participation on the national solidarity;
 - (vi) the tax on income from fixed yield investments;

(hereinafter referred to as "Moroccan tax").

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

- 1. In this Convention, unless the context otherwise requires:
 - (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law and, in particular, the U.N.Convention on the Law of the Sea.
 - (b) the term "Morocco" means the Kingdom of Morocco; and when used in geographical sense the term "Morocco" includes:
 - (i) the territory of the Kingdom of Morocco, the territorial sea thereof and
 - (ii) the maritime areas beyond the territorial sea, including the scabed and subsoil thereof (continental shelf) and the exclusive economic zone over which Morocco exercises sovereign rights, in accordance with its domestic laws and international law, for the purpose of exploration and exploitation of the natural resources of such areas.
 - (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Morocco as the context requires;
 - (d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
 - (e) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance, Department of Revenue, or their authorised representative;

- (ii) in the case of Morocco, the Minister of Finance or his authorised representative.
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "fiscal year" means:
 - in the case of India, "previous year" as defined in section 3 of the Income-tax Λet, 1961;
 - (ii) in the case of Morocco, a "fiscal exercice" as defined under the Laws relating to the General Income Tax and the Corporation Tax.
- (h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which is a resident of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (i) the term "national" means any individual, possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State;
- (j) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (k) the term "tax" means Indian tax or Moroccan tax, as the context requires, but shall not include any amount other than tax—which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes.
- 2. As regards the application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which this Convention applies.

RESIDENT

- 1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State or any political subdivision or local authority thereof is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.
- 2. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
 - (a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
 - (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
 - (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
 - (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competerational authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
- 3. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than mindividual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

(b) a branch; (c) an office; (d) a factory; (c) a workshop; a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of (f) natural resources: (g) a sales outlet; a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others; (h) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or (i) related activities are carried on; and a building site or construction or assembly project or supervisory activities (j) in connection therewith, but only where such site, project or activity continues for a period of more than eight months. 3. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides

The term "permanent establishment" includes especially:

a place of management;

2.

State.

(a)

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

services or facilities in connection with, or supplies plant and machinery on hire used for or to be used in the prospecting for, or extraction or exploitation of mineral oils in that

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory of auxiliary character.
- Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 of this Article, which if exercised through a fixed place of business would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.
- 6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.
- 7. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State—through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.
- 8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

- 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
- 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

For the purposes of this Article, where a permanent establishment takes an active part in negotiating, concluding or fulfilling contracts entered into by the enterprise, then notwithstanding that other parts of the enterprise have also participated in those transactions there shall be attributed to the permanent establishment that proportion of

permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

- 3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions, expenses which are incurred for the perposes of business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of the tax laws, and subject to the limitations laid down therein.
- 4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
- 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- 6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- 7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

- 1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
- 2 Profits derived by a transportation enterorise which is a resident of a Contracting

- 3. For the purposes of this Article, interest on funds directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits described in this Article, and the provisions of Article 11 (interest) shall not apply in relation to such interest.
- 4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where:

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

DIVIDENDS

- 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State a resident of the other. Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
- 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other rights, (not being debt-claims), participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same-taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7, or Article 14, as the case may be, shall apply.
- 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State, may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or, insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

- 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by:
 - (i) the Government, a political subdivision, or a local authority of the other Contracting State; or
 - (ii) in the case of India, the Reserve Bank of India, the Industrial Finance Corporation of India, the Industrial Development Bank of India, the Export -Import Bank of India, the National Housing Bank, the Small Industries Development Bank of India and the Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI); and
 - (iii) in the case of Morocco, the Bank Al-Maghrib (the Central Bank of Morocco), the Northern Provinces Development Agency, the Central Popular Bank and its regional agencies, the National Bank of Economic Development, the Moroccan Bank of Foreign Trade, the Communal Equipment Fund, the Immovable and Hotel Credit and the Industrial Development Office.
 - (iv) any other institution as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.
- 4.. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purposes of this Article.
- 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
- 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that

Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

- 1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
- 2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or the fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.
- The term "royalties" as used in this Article means:
 - (a) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of a literary, artistic or scientific work, including einematograph films or recordings on any means of reproduction for use for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, computer software programme, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience; and
 - (b) payments of any kind received as consideration for the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment.
- 4. The term "fees for technical services" means payments of any kind in consideration for the rendering of managerial, technical or consultancy services including

the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in Articles 14 and 15 of this Convention.

- 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties and fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7, or Article 14, as the case may be, shall apply.
- 6. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

- 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may also be taxed in that other Contracting State.
- 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of

such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

- Gains from the alienation of ships or aircrast operated in international traffic or movable property, pertaining to the operation of such ships or aircrast, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
- 4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may also be taxed in that Contracting State.
- 5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.
- 6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

- 1. Notwithstanding the provisions of the Article 12 relating to fees for technical services, income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that Contracting State except in the following circumstances:
 - (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; or
 - (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant fiscal year;

in such case, only so much of the income as is attributable to that fixed base or as is derived from his activities performed in that other Contracting State, as the case may be, may also be taxed in that other Contracting State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

- 1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State, if:
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant fiscal year; and
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
 - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircrast operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Director's fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 17

INCOME EARNED BY ARTISTES AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an artiste, such as a theatre, motion picture, radio or

television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

- 2. Where income in respect of personal activities exercised by an artiste of a sportsperson in his capacity as such accrues not to the artiste or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the artiste or sportsperson are exercised.
- 3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportspersons if the visit to that State is wholly or substantially supported by public funds of one or both of the Contracting States or of political subdivisions or local authorities thereof. In such a case, the income is taxable only the Contracting State of which the entertainer or sportsperson is a resident.

Article 18

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

- 1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.
 - (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
- 2. (a) Any person paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.
 - (b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.
- 3. The provisions of Articles 15, 16 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

- I. Any pension, other than a pension referred to in Article 18, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.
- 2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services.
- 3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 20

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

- 1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in the other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on:
 - (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
 - (b) remuneration from employment in that other State in an amount not exceeding the equivalent of US dollars 2000, during any fiscal year,

provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

- 1. A professor or teacher or research scholar who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other institution, approved in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.
- 2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.
- 3. For the purposes of this Article and Article 20, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is a resident in that Contracting State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.
- 4. For the purposes of paragraph 1, "approved" means a university, college, school or other institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 22

OTHER INCOME.

- 1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing articles of this Convention, shall be taxable only in that Contracting State.
- 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, if a resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in the form of lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of

any sort or gambling or betting of any form or nature whatsoever, such income may be taxed in the other Contracting State.

Article 23

AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

- 1. The laws in force in either of the Contracting State will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.
- 2. In the case of India, double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Morocco, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Morocco whether directly or by deduction at source. Such amount shall not however exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Morocco.

3. In the case of Morocco, double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of Morocco derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in India, Morocco shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in India, whether directly or by deduction at source. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in India.

- 4. The tax payable in a Contracting State mentioned in paragraph 2 and 3 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the tax incentives granted under the laws of the Contracting State and which are designed to promote economic development.
- 5. Income which in accordance with the provisions of this Convention, is not to be subjected to tax in a Contracting State, may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State.

NON-DISCRIMINATION

- 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting. State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.
- 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the lirst-mentioned State at a rate higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Convention.
- 3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not residents in that State any personal allowances, refiels, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.
- 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.
- 5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with this Convention.

- 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.
- 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

EXCHANGE OF INFORMATION

- 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.
- 2. The exchange of information or documents shall be either on routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

- 3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

COLLECTION ASSISTANCE

- 1. The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of taxes to which Convention relates, together with interest, costs, and civil penalties relating to such taxes referred to in this Article as a "revenue claim".
- 2. Request for assistance by the competent authority of Contracting State in the collection of a revenue claim shall include a certification by such authority that under the laws of that State the revenue claim has been finally determined. For the purposes of this Article, a revenue claim is finally determined when a Contracting State has the right under its internal law to collect the revenue claim and the tax payer has no further rights to restrain collection.
- 3. Amount collected by the competent authority of a Contracting State pursuant to this Article shall be forwarded to the competent authority of the other Contracting State. However, the first-mentioned Contracting State shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering such assistance to the extent mutually agreed between the competent authorities of the two States.
- 4. Nothing in this Article shall be construed as imposing on either Contracting State the obligation to carry out administrative measures of a different nature from those used in the collection of its own taxes or those which would be contrary to its public policy.

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic and consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

- 1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedure required by the respective laws for the entry into force of this Convention.
- 2. This Convention shall enter into force 30 days after the receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.
- 3. The provisions of this Convention shall have effect:
 - (a) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Convention enters into force: and
 - (b) in Morocco, in respect of income arising on or after the first day of January of the calendar year next following the year in which this Convention enters into force.

The second second second

Article 30

TERMINATION:

This Convention shall remain in force indefinitely, until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention through diplomatic channels by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect:

(a) In India, in respect of income arising in any liscal year on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given;

(b)	•	of income arising on or after the first day of ear next following the year in which the notice of
	TITNESS WHEREOF the resent Convention.	undersigned, being duly authorized thereto, have
199 8 . in the	: Hindi, Arabic, English an	d French languages, the four texts being equally oretation, the English text shall prevail.
R	Jaman Liaman	1
	Jaman Lamon REPUBLIC OF INDIA	FOR THE KINGDOM OF MOROCCO
FOR THE		

F.No. 503/9/91-FTD

(VIJAY MATHUR) JOINT SECRETARY भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-उ उपखंड-I में पुकाशनार्थ

भारत सरकार वित्त मंत्रालय १राजस्व विभाग१

नई दिल्ली, दिनांक (5 मार्च,2000

अधिसूचना अगयकरा

सांकांनि । १ अर्थ पूर्ति आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मोरककों किंगडम की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित अभिसमय, उक्त अभिसमय के अनुच्छेद-29 के अन्तर्गत उक्त अभिसमय को लागू करने के लिए दोनों ही संविदाकारी राज्यों दारा अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित पृक्तियाओं को पूरा करने के बारे में एक दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने के पश्चात 20 फरवरी, 2000 को पृत्त हो गया है।

इसिलए अब, आयकर अधिनियम, 1961 है। का 43 की धारा 90 द्वारा पुदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार सतद्धारा निर्देश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अनुबन्ध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार

और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

_और___

मोरको राज्य

के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और मोरक्को राज्य कि सरकार ने,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने की ऋछा से,

निम्नलिखित के अनुसार करार किया है :

अनुस्केद -1 अभिसमय का कार्यक्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो सींबदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुस्तेद - 2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

- 1. यह अभिसमय किसी संविदाकारी राज्य अधवा इसके राजनीतिक उप-प्रमार्गो अधवा स्थानीय प्रधिकरणों की और से लगाए गए आय पर करों पर लागू होगा चाहे ये किसी भी प्रकार से लगाए जाएं।
- 2. चल अधवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलामों पर करों सिंहत कुल आय पर अधवा आय के अंशों पर लगाए गए सभी करों को आय पर करों के रूप में माना जाएगा ।
- उ· जिन क्तमान करों के लिए यह अभिसमय लागू होगा वे विशेषतया निम्न प्रकार से हैं

 हैक है भारत गणराज्य में :

आयकर जिसमें उस पर लगने वाला अधिभार भी शामिल है :

§जिसे इसके बाद 'भारतीय कर' कहा जाएगा।

१ स १ मोरक्को राज्य में :

- है। है सामान्य आयकर ;
- %ii% निगम कर ;
- 8 i 1/8 अचल सम्पत्ति -लाभों पर कर :
- **१ ८ १ । राष्ट्रीय प्कता पर हिस्सा लेना** ३
- 🕽 🏏 🐧 निश्चित लाभ निवेशों से प्राप्त आय पर कर ;

१ंजिन्हें इसके बाद "मोरक्को के कर" कहा जाएगा।।

4. यह अभिसमय किसी भी समरूप अधवा पर्याप्त रूप से समान करों पर भी लागू होगा जी अभिसमय पर इस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् पैराग्राफ 3 में उहिलांखत करों के अतिरिक्त अधवा उनके स्थान पर दोनों में से किसी भी सीवदाकारी राज्य दारा लगाए जाएंगे ! सीवदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी उन महत्वपूर्ण पीरवर्तनों के सेबंध में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों ।

अनुस्केद - 3

सामान्य परिमाधाएं

- इस अधिसमय में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - १क १ "मारत" पद से अभिप्रेत है भारत का राज्य-क्षेत्रीय समुद्र और उसके उत्पर का वायुमंडलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिस पर भारतीय कानून के अनुसार और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार तथा विशेष रूप से समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों ;
 - १स१ "मोरक्को" पद से अमिप्रेत है मोरक्को का राज्य, और जब इसका भौगोलिक अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तब मोरक्को पद में निम्निलिखित शामिल होंगे ;
 - 🛚 i 🖟 मोरक्को राज्य का राज्य-क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा
 - १ 1 1 १ राज्य क्षेत्रीय समुद्र के परे का समुद्री क्षेत्र जिसमें उसका हमहादिपीय जल गठन सीमाई समुद्र तल और अवमृदा शामिल होगी तथ्य अनन्यतः आर्थिक क्षेत्र जिसके उत्पर ऐसे क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों की खोज और दोइन के लिए मोरक्को स्वंदेशी कानूनों और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुतासम्पन्न अधिकार का प्रयोग करता है ।
 - १ग । "एक संविवाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" पद का अर्थ संदर्भ की अध्यानुसार भारत अथवा मोरक्को है ;
 - । "कम्पनी" पद में ऐसा निगमित निकाय अधवा कोई भी ऐसी सत्ता अभिप्रेत है

 जो संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रकृत कराधान कानूनों के अंतर्गत एक

 निगमित निकाय के रूप में मानी जाती हो ;
 - १ड १ "सप्तम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत हैं :--
 - १ (१) भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय, राजस्ये विकास अथवा उनका प्रशिकृत प्रतिनिधि ;
 - शांश मोरक्को के मामले में, किता मंत्री अधवा उसका प्रिधिकृत प्रतिनिधि :

- १चि "प्ल संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पर्दों से कुमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा संचालित कोई उद्यम अभिनेत हैं;
- ईहिंह "वित्त वर्ष" से अभिग्रेत है :-.
 - हैं। है भारत के मामले में, "पूर्वकर्ती वर्ष" जैसांकि आयकर अधिनियम,
 1961 की धारा 3 के अंतर्गत परिमाधित किया गया है ;
 - हैं। । । भोरक्को के मामले में, "वित्तीय व्ययहार" जैसाक सामान्य आयवर और निगमकर से संबंधित कानुनों में परिमाधित किया गया है ।
- ईज है "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिग्रेत है किसी ऐसे जलयान अधवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचातित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अधवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;
- हुझ है "सिंद्रिक" पद से एक संविदाकारी राज्य की सिंद्रिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति और कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अधवा संस्था अभिप्रेत है जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;
- १७१६ "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों की कोई संस्था और कोई अन्य सत्ता अभिप्रेत है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कराधेण इकाई गांगा जाता हो ;
- १ट१ "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अधवा मोरक्की कर अभिग्रेत है परन्तु इसमें कोई ऐसी रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में देय है जिनके लिए यह अभिसमय लागू होता है अधवा जो इन करों के संबंध में लगाए गए अर्धदण्ड को निरूपित करते हैं।
- 2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रकान का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें परिमाधित नहीं हुआ हो, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक बही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है।

अनुच्छेद - 4

निवासी

- 1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्ध, "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान, प्रबंध अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौदी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है । तथापि इस पद में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस राज्य में उस राज्य के सोतों से प्राप्त आय के बारे में ही कर लगाया जा सकता है ।
- 2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :
 - कि उसे उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह
 उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह हो, तो वह
 उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक
 संबंध पनिष्ठतर हैमहत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है हैं;
 - १वं उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अधवा यदि उसका दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृष्ट उपलब्ध नहीं हो तो वह उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;
 - हैंग है यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अधवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है :
 - ३घ१ यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अध्या उनमें से किसी का भी
 राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पिरक सहमित
 क्रिंस इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।
- उ॰ व्यिष्ट से मिन्न कोई व्यक्ति पेराग्राफ १ के उपलंधों के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तिक प्रवंध स्थान स्थित है ।

अनुच्छेद - 5

-स्थायी-संस्थापन ---

- 1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्ध, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके दारा किसी उद्यम का कारोबार संपूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है :
- 2 "स्पायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलियित शामिल हैं :-
 - 🎙 क 🎙 प्रबंध का कोई स्थान ;
 - १ स १ कोई शासा ;
 - १ग१ कोई कार्यालय :
 - ३घ४ कोई कारखाना ;
 - १इ १ कोई कार्यशाला 🗦
 - हैच है कोई सान, तेल अथवा तेल का कोई कुआ, कोई सदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान :
 - १ छ । बिकी वाजार :
 - १ज१ किसी व्यक्ति से संबंधित कोई मालगोदाम जिससे दूसरों को भण्डारण सुविधा प्रदान की जाती हो ;
 - है सह कोई फार्म, बागान अधवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अधवा उससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हैं : तथा
 - १अ१ कोई भवन स्थल अथवा संरचना अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षीय कार्यकलाप किन्तु ऐसा तभी होगा जब ऐसे स्थल परियोजना अथवा कार्यकलाप आठ गहीने से अधिक की अविध के लिए जारी रहते हों।
- 3. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन होना और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार किया जाना तभी माना जाएगा यदि वह उस राज्य में खीनज तेलों के पूर्वेक्षण के लिए अयवा निष्कर्षण अथवा दोहन के संबंध में सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करता है या उनमें प्रयुक्त अथवा प्रयोग किए जाने के लिए संयंत्र और मशीनरी की किराए पर आपूर्ति करता है।
 4. इस अनुद्धेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पट में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :-
 - १क१ किसी उद्यम के माल अधवा पण्य-वस्तुओं के केवल भण्डारण, प्रदर्शन अधवा
 माल की सुपुर्दगी ही के प्रयोजनार्थ स्विधाओं का प्रयोग

- १ सं १ केवल भण्डारण, प्रदर्शन अधावा सुपूर्वगी के प्रयोजनार्ध ही किसी उद्यम के माल अधावा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना ;
- है सह किया अन्य उद्यम द्वरा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्ध ही उक्त उद्यम
 के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना ;
- §घ§ किसी उद्यम के लिए माल अध्या पण्य-बस्तुओं का केवल क्य करने अथवा
 सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ ही कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;
- १ड-१ उद्यम के लिए केवल किसी ... अन्य अनुष्मिक अथवा सहायक स्वरूप के कार्यकलाप चलाने के प्रयोजनार्ध कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना :
- हेन्छ उप-पेराग्राफ १क६ से १ड०६ तक में उत्तिक्षित कार्यकलाणें के किसी संयोजन हेतु केवल कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाय करना बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वस्प कारोबार के निश्चित स्थान के समस्त कार्यकलाण प्रारंभिक अथवा सहायक फ्रकार के हों।
- 5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपक्षेंगों के होते हुए भी जहां कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी स्वतंत्र हैसियत वाले अभिकर्ता से भिन्न हो, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता है और वह किसी उद्यम की और से कार्य करता हो और जिसे किसी संविदाकारी राज्य में उक्त उद्यम के नाम पर संविदार करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह उस प्राधिकार का आम तौर पर प्रयोग भी करता हो और वह उस प्राधिकार का आम तौर पर प्रयोग भी करता हो और उस राज्य में उक्त उद्यम के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किन्हीं भी कार्यकलाणों के बारे में उस उद्यम का कोई खायी संस्थापन होना माना जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाण इस अनुस्केद के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित कार्यकलाणों तक ही सीमित न हों, जिनका यदि किसी नियत कारोबार का नियत स्थान एक स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगा।
- 6 इस अनुन्हेंद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी ग्रीमा उपम का पुनर्वीमा के मामलों को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक खायी संख्यापन होना माना जाएगा यदि वह किसी स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अधिकर्ता से मिन्न किसी व्यक्ति के माध्यम से उस दूसरे राज्य में क्रिंमियम वसूल करेगा अध्वा वहां रिशत जोसिमों का वीमा करेगा ।

- तिसी संविद्याकारी राज्य का दूसरे संविद्याकारी राज्य में केवल इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेन्ट अधवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य अधिकर्ता के माध्यम से कारोबार करता है बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपना कारोबार सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि, यदि ऐसे एजेन्ट के कार्यकलाप पूर्णतः अधवा अंशतः उस उग्रम की और से किए जाते हैं तब उसे इस पैराग्राफ के अधिप्राय से कोई स्वतंत्र हैसियत वाला एजेन्ट नहीं माना जाएगा।
- 8 यह तथ्य कि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है अथवा उसके दारा नियंत्रित हीती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ईचाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथाई कारोबार करती है तो केवल इसी बात से उन दोनों में से कोई भी कम्पनी एक दूसरे की स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

अचल सम्पत्ति से आय

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अञ्चल सम्पत्ति है जिसमें कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय भी शामिल है है से प्राप्त आय पर उस दूसरे रांथियायारी राज्य में पर नगाया जा सरोगा।
- 2. "अवल सम्पत्ति" पद के अर्थ यही होगा जो उस सांधदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे, अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपवंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भंडार, स्रोत तथा अन्य प्रकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार । जलयान, नौकाएं तथा वाय्यान अचल सम्पत्ति नहीं समझे जाएंगे ।
- उ॰ पैराग्राफ 1 के उपकंघ, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे फिराये पर देने अधवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे ।
- 4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उग्रम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त अय पर तथा-स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

कारोबार से तम

- 1. एक संविदाकरी राज्य के किसी उराम के लाओं पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो । यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम लाओं पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है किन्तु उसके लाओं के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो कि प्रत्यक्ष रूप से अध्या परीक्ष रूप से उस स्थायों संस्थापन के कारण प्राप्त हुए हीं ।
- इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए जहां कोई स्थायी संस्थापन उद्यम द्वरा की गई संविदाओं पर बातचीत करने, उन्हें निष्णन करने अथवा इन्हें पूरा करने के लिए सिक्रिय रूप से भाग लेता है, तब इसके होते हुए भी कि उद्यम के दूसरे भागों ने भी उन सौदों में हिस्सा लिया है उन संविदाओं से उद्भूत उद्यम के लक्ष्मों का यह अनुपात स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ माना जाएगा क्योंकि उन सौदों के लिए स्थायी संस्थापन का अंशदान प्र्यंतया उद्यम बहन करता है।
- 2. पैराग्राफ 3 के उपवंशों के अधीन रहते हुए, जहां किसी संविद्याकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविद्याकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविद्याकारी राज्य में. ऐसे रुगाणी संस्थापन के गारण है लाभ हुए माने जाएंगे, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान या मिलती-जुलती पीरिस्थितियों में एक-समान या मिलती-जुलते कार्य-कलार्षे में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णत: स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।
- 3. किसी स्थायी संस्थापन के लामों का निर्धारण करने में, उन खर्चों की कटीती की अनुमित दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्ध खर्च किए जाते हैं जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही ये उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा यह उस राज्य के उपबंधों के अनुसार तथा कराधान कानूनों की सीमाओं के अध्यथीन किए गए हों।
- 4 जहां तक किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कूल लाओं को उसके विभिन्न अंगों के प्रति अनुमाजन के आधार पर किसी स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाले लामों को निश्चित करने की प्रया रहती हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी व्याख्या उन संविदाकारी राज्यों को रेखी प्रवित्त अनुमाजन पदित से कर लगने वाले लामों को निश्चित करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी, लेकिन

अपनाई गई प्रमाजन पदित ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुस्केंद में विहित सिदांतों के अनुसार-होगा ।

- 5. कोई लक्ष्म केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन दारा उद्यम के लिए मात्र माल अथवा पण्य-वस्तुओं की सरीद की गई है।
- 6. पूर्वक्ति पैराग्राकों के प्रयोजनार्ध स्थायों संस्थापन के कारण हुए रोमझे जाने असे लोगों को तब वर्षानुवर्ष उसी पढ़ित से निधारित किया जातों रेडेंगों, जिब तक कि उसके विषयित कोई ठोस तथा प्रयोग्त कारण नहीं हो ।
- 7. जहां आय की मदों में लाभों की वे मदें शांगित हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुस्हेवों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुस्हेवों के उपबंध इस अनुस्हेव के उपबंधों में प्रभावित नहीं होंगे।

अनुस्छेद - 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

- 1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अधवा वायुयानों के संचालन से किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- 2. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अधवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन हेतु प्रयुक्त आधानों १ आधानों के परिवहन के लिए ट्रेलरों और अन्य उपकरणों सिहत है के प्रयोग, रख-रखाव अधवा उनहें किराये पर देने से किसी संविदाकारी राज्य के निवासी किसी परिवहन उद्यम द्वरा प्राप्त किए गए लक्ष्मों -पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि उक्त आधानों का केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही प्रयोग न किया जाता हो ।
 - उस अनुद्रहेद के प्रयोजन के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अधवा वायुयानों के संचालन से सीधे संबंधित निधियों पर ब्याज को इस अनुद्रहेद में यथा-पीक्षाधित लागों के रूप में माना जाएगा और अनुद्रहेद 11 के उपबंध हब्याज ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे ।
 - 4. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त व्यवसाय अधवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिवहन फ़ोन्सी में भाग होने से प्राप्ता लक्कों पर भी लागू होंगे ।

संबद्ध उधम

- १- जहां :
 - १क१ एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उराम के प्रबंध, नियंत्रण अधवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अधवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अधवा
 - १सि व्यक्ति, का सीवनाकारी -राज्य के किसी उद्यम के और दूसरे सीववाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं:

और दोनों में से किसी भी मामले में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा चित्तीय संवंधों में ऐसी शर्ते रक्षी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिनन हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रक्षी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाम जो उन शर्तों के न होने की स्थित में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होना किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाम उस उद्यम के लामों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक सीवदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लामों में उन लामों को सिम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाया है जिन पर दूसरे मीवदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार सम्मिलित किए गए लाम ऐसे लाम हैं जो प्रथमोहित्तीलत राज्य के उद्यम को उस स्थित में प्राप्त हुए होने यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्ते उस तरह की होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब बूसरा राज्य उन लामों पर वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समयोजन करेगा । इस प्रकार के समयोजन को निश्चित करने में इस अभिसमय के अन्य उपवंधों को यथोचित स्प से ध्यान में राजना होगा और यदि आवश्यक हो तो सीवदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी एक-दूसरे के साथ प्रामर्श करेंगे ।

अनुरछेद - 10

लामांश्व

- 1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी दारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए लाभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
- 2. तथापि, ऐसे तामांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसकी लामांश अवा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लामांशों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर लामांश की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- 3 इस अनुद्धित में यथा-प्रयुक्त "लक्ष्मांश" पद का अर्थ शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभों में भागीदारी हैजो ऋण-दावे नहीं होंहे तथा अन्य ऐसे निगोमत अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस सींबदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिस राज्य की वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।
- 4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपनंध उस स्थित में लागू नहीं होंगे, यदि लामांशों का हितमागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां ख़ियत एक ख़्यायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लामांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अधवा उस दूसरे संविदाकाकरी राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लामांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अधवा निश्चित स्थान से प्रमावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थित में अनुस्केद 7 या अनुस्केद 14 के उपवंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
- 5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अधवा आय प्राप्त करती है, वहां दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लामांशों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा सिवाय इसके कि जो लामांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किया जाता हो अधवा जहां तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लामांशों की अदायगी की जाती है, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संख्यापन या किसी नियत स्थान से प्रमावी रूप से संबंधित है और न ही कम्पनी के अक्तिरित लामों पर कम्पनी के अक्तिरित लाम पर कर लगाया जाएगा, भले ही अदा किए गए लामांश अधवा अधितरित लाम पूर्ण रूप से उस दूसरे राज्य में उद्मुत होने वाले लाम अधवा आय के रूप में हों।

=्याज

- एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अवा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- 2- तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस सींबदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा, जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हित्रभागी स्वाभी है तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
 - 3. पराग्राफ 2 के उपनंधों के होते हुए भी एक सींवदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाते व्याज पर उस राज्य में कर से छूट होगी बश्चर्ते कि वह निम्निलिशित द्वरा प्राप्त किया जाता है और हितमागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है :
 - १ ं १ व्सरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रमाग अधवा
 कोई स्थानीय प्राधिकरण ; अधवा
 - ३ () भारत के मामले में, भारतीय रिजर्व बेंक, भारतीय औद्योगिक किंत निगम, भारतीय औद्योगिक किंक, किंक, भारत का आयात-निर्यात बेंक, राष्ट्रीय हाउसिंग बेंक, भारत का लघु उद्योग विकास बेंक और भारत का औद्योगिक ज्ञण और निवेश निगम १ आई सी आई सी आई । तथा
 - \$1118 मोरक्को के मामले में, अल मगृरिव बैंक हमोरक्को का केन्द्रीय वैंकह, उत्तरी प्रन्त किकास अधिकरण, केन्द्रीय पॉपुलर बैंक और इसकी क्षेत्रीय प्लेंसियां, राष्ट्रीय अधिक किकास बैंक, मोरक्की विदेश व्यापार बैंक, कम्युनल इक्किपमेंट फंड, अबल तथा कोटल केंडिट तथा औद्योगिक क्षिकास कार्यालय ;
 - ∮ i ∨ १ कोई अन्य संस्था जिस पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच
 समय-समय पर सहमीत हो सके ।
 - 4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ध्याज" शब्द से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी-दावों से प्राप्त आय, बाहे वे बंधक बरा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और बाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभों में भागीवारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभृतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभृतियों, बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से संबंधित प्रिमियम और पुरस्कार शामिल हैं । बिलम्ब अवायगी के लिए जुर्मानों को इसं अन्द्रछेद के प्रयोजन के लिए ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा ।

- 5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थित में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितमार्गा स्वामी किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, वहां स्थित ऐसे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण दावे के वारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में अनुस्केद 7 अथवा 14 के उपबंध यथा स्थित लागू होंगे ।
- 6. ब्याज किसी सींबदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज देने वाला स्वयं वह सींवदाकारी राज्य, उस सींबदाकारी राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो । किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी सींबदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी सींबदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थान स्थान है।
- 7. जहां ब्याज अदार्क्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस अण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है जो ऐसा विशेष संबंध नहीं होने की स्थिति में अदार्क्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमित हो गई होती, वहां इस अनुद्धेद के उपबंध केवल अंतिम उल्लिखित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुस्केद - 12

रायित्यां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

- 1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को असी-की गई रायहिट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा 2. तथापि, इस प्रकार की रायहिट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा किन्तु याँव प्रध्तकर्ती रायहिट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हिलमागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायहिट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
- उ. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "रायिहटयों" पद से निम्निलिखित अभिप्रेत है :
 - हिन हिनेमा फिल्मों अथवा रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण हेतु प्रयोग के लिए किसी भी एनिमाण माध्यम पर रिकार्डिंग सिंहत किसी साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैद्यानिक कृति, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रेग्राम, गुप्त किसी या प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिन्यिक या वैद्यानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अवार्यागयां; तथा
 - १४४१ किसी औद्योगिक, वाणिन्यक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगिधिकार हेतु प्रतिपत्त के रूप में प्रप्त किसी भी प्रकार की अदायगियां ।
- 4. "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पत ये सिहिद्रा है प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शी सेकाएं प्रदान करने के लिए उसके प्रतिफल में किसी भी प्रकार की अदायांगयां जिसमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वरा सेवाओं का प्रावधान भी सिमितित है किन्तु इसमें इस अभिसमय के अनुस्केद 14 और 15 में उल्लिधित सेवाओं के लिए अदायांगयां सिमितित नहीं हैं।
- 5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस रिश्वित में लागू नहीं होंगे यदि एयहिटयों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितमागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य, किंसमें रायहिटयां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैद्यांक्तक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायहिट्यां और तकनीकी मेथाओं के लिए फीस बदा की जानी है ऐसे स्थार्थ संस्थापन अथवा निश्चित स्थार के स्थार प्राप्ति कर से संश्री करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायहिट्यां और तकनीकी मेथाओं के लिए फीस बदा की जानी है ऐसे स्थार्थ संस्थापन अथवा निश्चित स्थार के स्थार प्राप्ति कर से संश्रीपत हैं।

- 6. एक सींवर्गकारी राज्य में सयहिटयां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्मृत हुई मानी जाएगी, जब अदा करने वाला स्वयं वह सींवर्गकारी राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । तथागि, जहां सायहिटयां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी सींवराकारी राज्य का निवासी हो अध्या नहीं, उस सींवराकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अध्या कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में सायहिटयां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी सायहिटयां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी सायहिटयां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अध्या निश्चित स्थान हारा वहन की जाती हो, तब ऐसी सायहिटयां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस सींवराकारी राज्य में उद्भूत हुई मानो जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अध्या निश्चित स्थान हिंदी स्थान हुई मानो जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अध्या निश्चित स्थान हिंदी स्थान हुई मानो जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अध्या निश्चित स्थान हिंदी स्थान हुई मानो जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अध्या निश्चित स्थान हिंदी स्थान है।
- 7. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अधवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अधवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायिहटयों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंध की अनुपास्थित में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अधया उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहमित हो गई होती, वहां इस अनुद्धित के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रक्षम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामलों में अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविद्याकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

जनुच्छेद - 13

पुंजीगत अभिलम

- 1. एक संविदाकरी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुस्केद 6 में उहिलाखित और दूसरे संसंविदाकरी राज्य में किस लगाया जा सकेंगा।
 2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो एक संविदाकरी राज्य के किसी उदाम के दूसरे संविदाकरी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारवार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो सम्पत्ति एक संविदाकरी राज्य के किसी निवासी को दूसरे सीवदाकरी राज्य में स्वतंत्र कैयितक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन १ अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ । अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।
- 3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अधवा व्ययुयानों अधवा इस प्रकार के जलयानों अधवा व्ययुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलामों पर केवल उस संविद्याकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें उसम का प्रमावी प्रवंध स्थान स्थित होगा ।
- 4· किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्ष राधवा अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यतया किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अवल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में क्रिया जा सकेगा।
- पैराग्राफ 4 में उल्लिखित किसी कम्पनी के शेयरों से मिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाओं पर जो कि एक मीविवाकारी एउटा दी निजासी है, उस सीवेदाकारी राज्य में कर लग सकेगा ।
- 6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उहिलीबत सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलामों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

- ि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से संबंधित अनुस्केद 12 के उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा व्यावसाधिक सेवाओं अधवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलाणें के संवंध में प्राप्त आय पर निम्निलिखित पीरिस्थितियों को छोड़कर अन्य पीरिस्थितियों में उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा-सकेगा :
 - । अथवा

 कोई नियत स्थान उपलब्ध हो ; अथवा

 कोई नियत स्थान उपलब्ध हो ; अथवा
 - हैसह यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में वह संगत वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन तक अथवा उससे अधिक अवधि या अवधियों के लिए ठहरता हो,

ऐसे मामते में केवल उतनी आय पर जो उक्त नियत स्थान से उद्भूत होती है अथवा जो अन्य संविदाकारी राज्य में निष्पदित उसके कार्यकरायों से प्राप्त होतों है, जैसी भी स्थिति हो, उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यक, कलात्मक, शैक्षिक अधवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा काय-चिकित्सकों, शत्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दंत-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

परावलम्बत वैद्यवितक सेवापं

- 1. अनुद्देश्वर 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य परिश्रमिक प्रकेवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन का दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयोग निक्या जाए। यदि नियोजन का इस प्रकार प्रयोग किया गया है तो जो परिश्रमिक यहां से प्राप्त होता है, उहा पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों. के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयोग किए एए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रीमक पर केवल प्रथमोहिलाधित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, :-
 - १क प्रांत प्राप्तकर्ता संबंधित विस्तीय वर्ष में ऐसी अवधि अधवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं है;

 - §ग । परिश्रीमक जो ऐसे स्थापी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान दारा यहन नहीं किया जातुइ है जो नियोजक का दूसरे संविदाकारी राज्य में हो ।
- उन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित किसी पात अथया वायुयान पर सवार होकर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त परिश्रीमक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

निदेशकों की फीस

निवेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अवायिंगयां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हों, उन पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

मनोरंजनकर्ताओं और सिलाडियों दश अर्जित आय

- 1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपवंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी दिशें मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई धियेटर, चलचित्र, रेडियों या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी विलाड़ी के रूप में दूसरे सीवदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलाणें से प्राप्त अध्य पर उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- 2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी बिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत से किए गए वैयक्तिक कार्यकर्ताणों के संबंध में प्राप्त जाय स्वयं मनोरंजनकर्ता या बिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपवंधों के होते हुए भी, उस संविद्यकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा बिलाड़ी के कार्यकर्ताण किए जाते हैं।
- 3. पैरागाफ 1 और 2 के उपबंध मनोरंजनकर्ताओं अध्वा सिलाड़ियों द्वारा किसी संविद्याकरी राज्य में उनके निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि उस राज्य में उसकी यात्रा का एक या दिन्तों संविद्याकरी राज्य की सार्वजनिक निष्धियों अध्वा उसके राजनितक उग-प्रभागों या स्थानीय निकाओं दारा पृश्तिः अध्वा पर्याप्त रूप से संभरण किया जाता हो । ऐसे मामले में उक्त आय पर केवल उस राज्य में कर लगाओं जाएगा जिसका मनोरंजनकर्ता अध्या विलाड़ी एक निवासी हो ।

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक और पेशन

- हैक किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में की गई सैयाओं के लिए किसी व्यविट को अदा को गई पेशन से भिन्न परिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।
 - १ सं क्षि पारिश्रोमक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हैं और व्यक्टि उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी हो, जो :-
 - १iं≬ उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो ; अधवा

1 .

- हों। मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।
- 2. १क१ किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों द्वारा अथवा उसमें से उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यक्ति को अदा की गई पेंशन पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा ।
 - १स१ तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा यदि उक्त व्यक्टि उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।
- 3. अनुरहेद 15, 16 और 19 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्रधिकरण दारा किए जा रहे किसी कारबार के सिर्लासले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्रप्त परिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगे ।

गैर सरकारी पेशन और वार्षिकयां

- अनुक्तेद 18 में उल्लिखित पेंशन से धिनन कोई पेंशन अथवा कोई वार्षिकी जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के ग्रोतों से प्राप्त होती हो, पर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा ।
- 2. 'पेंशन' पव का अर्थ पिछली सेवाओं के प्रतिफल के संबंध में की जाने वाली आविधक अवायगी से है।
- 3. "वार्षिकी" पद का अर्थ उस नियत राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिए अहायांगयां करने के किसी दायित्व के अधीन जीवन पर्यन्त अथवा किसी विनिर्धिष्ट या निर्धित समयाविष्य के दौरान नियत अविध पर समय-समय पर देय हो ।

विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वरा प्रप्त अदायशियां

- एक विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और उस दूसरे राज्य में मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए मौजूद रहता है उसे उस दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट दी जाएगी :
 - §क इस दूसरे राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा

 प्रशिक्षण के लिए की गई अदायगियां ; अथवा
 - १ व १ उस दूसरे राज्य में रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक जो किसी जित्तीय वर्ष के दौरान 2000 अमरीकी डालर अथवा इसके समतुल्य रकम से अधिक न हो बशर्ते कि ऐसा रोजगार उसकी शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो अथवा उसके भरण-पेषण के उद्देश्य हेतु किया गया है ।
- 22 इस अनुद्धेव के लाभ केवल उस समयाविध तक होंगे जो ली जा रही शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा प्रधानुसार अपेक्षित हो, किन्तु किसी भी स्थिति में कोई व्यष्टि इस अनुद्धेद का लाभ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रधम आगमन की तारीख से लेकर लगातार पांच वर्षों से अधिक अविध के लिए नहीं उठा सकेगा ।

अनुस्केद - 21

प्रोपेसरों, अध्यापकों और शोध अध्येताओं दारा प्रप्त की गई अदार्थागयां

- 1. किसी प्रेफेसर अथवा अध्यापक को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा किसी अन्य अनुमोदित संस्था में शिक्षण अथवा शोध कार्य अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तत्काल पूर्व दौनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी है अर्थवा था, उसके उक्त दूसरे राज्य में पहुंचने की तारीख से दो वर्षों से अनिधक की अविध के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।
- 2. यह अनुंद्रेंद ऐसे शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध कार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अधवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो ।
- 3. इस अनुस्केद तथा अनुस्केद 20 के प्रयोजनार्ग, किसी व्योध्ट को एक संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि वह वित्तीय वर्ष में उस सींबदाकारी राज्य का निवासी है जिसमें वह दूसरे सींबदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा वित्तीय वर्ष से तत्काल पूर्व दौरा करता है ।
- 4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "अनुमोदित" से अभिप्राय ऐसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अध्या अन्य संस्था से है जिसे संबंधित सीयदाकारी राज्य के सक्षम प्रधिकारी वारा इस संबंध में अनुमोदित क्रिया गया हो ।

अनुरुष्ठेव - 22

अन्य आय

- उस अनुद्धित के पैराग्राफ 2 के उपवंधों के अधीन रहते हुए, एक सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मर्दे, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों और जिन पर इस करार के पूर्वीक्त अनुद्धेदों में स्फट रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस सीवदाकारी राज्य में कराधेय होगी।
- 2. इस अनुष्ठिद के पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुष्ठिद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिमाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से बिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक सीवदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे सीवदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रमावी रूप से सम्बद है। ऐसे मामले में अनुष्ठेद 7 अथवा अनुष्ठेद के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।
- 3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी यदि किसी संविद्याकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविद्याकारी राज्य के भीतरी स्रोतों से घुड़दोड़ों, कार्डगेमों और अन्य गेमों या किसी भी प्रकार या किस्म के किसी भी प्रकार की जुपवाजी या शर्तवाजी संहित लाटीरयों, वर्ग-महेलियों तथा दौड़ों के रूप में आय प्रप्त होती है तो ऐसी आय पर उस दूसरे संविद्याकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।

दोहरे करायान का परिहार

- वोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रकृत कानून संबंधित राज्यों में आय के कराधीन मामलों को अधिशासित करते रहेंगे सिवाय उन मामलों के जहां इस अभिसमय में उनके विपरीत प्रावधान किए जाएं।
- 2 भारत के भामले में दोहरे कराधान का परिहार निम्न प्रकार से किया जाएगा :

जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता ही जिस पर इस अभिसमय के उपवंधों के अनुसार मोरको में कर लगाया जा सकता है वहां भारत उस निवासी की उक्त आय पर उस आयकर की रकम के बराबर कर से कटौनी प्रदान करेगा जो भोरक्को में अदा किया गया है चाहे यह प्रत्यक्ष रूप से अध्वा अप्रत्यक्ष रूप से अदा किया गया हो । तथापि ऐसी रकम कटौती दिए जाने से पहले संगणित आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसका श्रेय उस आय को हो जिस पर मोरक्को में कर लगाया जा सकता है ।

अन् मोरक्को के मामले में दोहरे कराधान का समापन निम्न प्रकार से किया जाएगा :

जहां मोरक्को का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता हो जिस पर इस अध्यसमय के उपवंधों कें अनुसार मास्त में कर लगत्या जा सकता है वहां मोरक्को उस निवासी की उक्त आय पर उस आयकर कें रकम के बराबर कर से कटौती प्रदान करेगा जो मास्त में अदा किया गया है चाहे यह प्रत्यक्ष रूप से अध्य अप्रत्यक्ष रूप से अदा किया गया हो । तथापि, ऐसी स्कम कटौती दिए जाने से पहले संगणित आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसका श्रेय उस आय को हो जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है

- 4- किसी सींवदाकारी राज्य में देय करों में इस अनुद्धेद के पैराग्राफ 2 और 3 में उत्तिक्षित वह कंर भी शामिल माना जाएगा जो उक्त सींवदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत दिए गए कर प्रीत्साहनों के न दिए जाने पर देय होता और जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है।
- 5. जिस आय पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाता उसका उस संविदाकारी राज्य में लगाए जाने वाले कर की दर की गणना करने के लिए ध्यान रुखा जाएगा ।

सम-व्यवहार

- ा एक सींवदाकारी राज्य के राष्ट्रिक पर दूसरे सींवदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान को अधवा तरसंबंधी अपेक्षाओं को लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में लगाए जाने वाले अधवा लगाए जा सकने वाले कराधान एवं तरसंबंधी अपेक्षाओं से भिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हों।

 2. एक सींवदाकारी राज्य के किसी उप्रम के दूसरे सींवदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उधमों पर एक-समान परिस्थितियों में उससे मिलते-जुलते कार्य-कलाणें को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकृत हो । इस उपवंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे सींवदाकारी राज्य के किसी उधम के प्रथमोल्लिखत राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लिमों पर कर की ऐसी दर पर प्रमार लगाने से किसी सींवदाकारी राज्य के रोकना है जो उस दर से अधिक हो जो प्रथमोल्लिखत सींवदाकारी राज्य के समस्य उदाम के लामों पर लगाया जाता है और न ही इसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह इस अभिसमय के अनुक्छेद 7 के पेगाया 3 के उपवंधों के प्रतिकृत हो ।
- उस अनुस्हेद में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे किसी संविदाकारी राज्य को इस बात के लिए बाध्य करना है कि वह उस राज्य के अनिवासी व्यक्तियों को कराधान के प्रयोजनार्ध कोई ऐसी वैयक्तिक छूट, राहत, कछैती और घछैती प्रदान करे जो कानूनन केवल ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होती हैं जो इसी प्रकार के निवासी हों।
 - 4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अधवा अंश्वतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अधवा नियंत्रण में होती है, प्रथमोहिलांखित राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो जो उस प्रथमोहिलांखित राज्य के अन्य समस्य उद्यमों पर लगाई जाती है अधवा लगाई जा सकती है।
 - इस अनुस्केद में "कराधान" पद का अभिप्राय ऐसे करों से है जो इस अभिसमय की विषयवस्तु हैं।

परस्परिक करार विधि

- 1. जहां किसी सीवदाकरी राज्य का कोई व्यक्ति यह समझता है कि दोनों सीवदाकरी राज्यों में मेस्सी एक अधवा दोनों राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अधवा लगाया जारा। वह इस अभिसमय के अनुरूप नहीं होगा तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों वास उपबोधत उपयों के होते हुए भी अपना मामला उस सीवदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह एक निवासी है। यह मागला उस कार्रवाई की सूचना की प्राप्टित की तारील से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चिहिए जिसके परिणामस्वरूप उस पर ऐसा कर लगाया जाता है जो इस अभिसमय के उपवंधों के अनुरूप नहीं है।
- 2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपील उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उचित इल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की वृष्टि से, जो इस अधिसमय के अनुरूप नहीं हो, दूसरे सिवदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमित दारा उस मामले को इल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए किसी भी करार को कार्यीन्वत किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के अन्तरिक कुन्नों में कोई भी समय-सीमा निधारित क्यों न हो।
- उत्पन्न होने पर संविद्यकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी उन्हें परस्पारेक सहमित से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के अपकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिसकी इस अभिसमय में ब्यवस्था नहीं की गई है ।
- 4. पूर्ववर्ती पेरागाणों के अभिप्रत्य से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्ध संविदाकारी राज्यों के सक्षर प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। यदि किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से मौधिक विचारों का आवान-प्रवान करना उपयुक्त प्रतीत हो तो ऐसे आदान-प्रदान सावदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारिंग के प्रतिनिधियों के किसी आयोग के मान्यम से किए जा सकते हैं।

अनुरुकेद - 26

सूचना का आदान-प्रदान

- 1. सींवराकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी रेसी सूचना १ दस्ताकेजों सिंहत १ का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अधिसमय के उपवंधों को अधवा सींवराकारी राज्यों के उन करें से संबंधित स्वदेशी कानूनों के उपवंधों को कार्यान्तिक करने के लिए आवश्यक है, जो इस अधिसमय के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन करायान व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की धोसायड़ी अधवा अपवंचन को रोकने के लिए इस अधिसमय के प्रतिकृत नहीं हो । सूचना का आदान-प्रवान अनुस्केद 1 बरा प्रतिवंधित नहीं है । किसी सींवदाकारी राज्य वरा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस सींवदाकारी राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अधवा प्राधिकारियों १ जिसमें न्यायालय और प्रशामनिक निकाय भी शामिल हैं १ को प्रकट किया जाएगा जो इस अधिसमय के अंतर्गत आने वाले करों का निर्धारण अधवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अधियोजन के संबंध में अधवा उनसे संबंधित अधिलों का निर्धारण करने से संबट हों । ऐसे व्यक्ति अधवा प्रधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के निर्ध हो करेंगे । वे उक्त सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों में अधवा न्यायिक निर्णयों भी प्रकट कर सर्वेगे । सक्षम प्रधिकारी विवार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुधित वर्तो, पदित्रों और तकनीकों को विकिसित करेंगे जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा जिनमें, जहां- करीं उपयुक्त हो, कर अपवंचन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है ।
- 2. सूचना अध्या दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेमी आधार पर अध्या मामते विशेष के संदर्भ में अनुरोध करने पर अध्या दोनों स्थितियों में किया जर सकेगा । सीवेदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी सूचना अध्या दस्तावेजों की सूची पर समय-समय पर करार करेंगे जिसे नेमी आधार पर मुहैया कराया जाएगा ।
- 3. किसी भी स्थिति में , गैएएएए 1 के उपवधें का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्निलिखित
 दायित्व डालना नहीं होगा :
 - हक है उस अधवा दूसरे सीवदाकारी राज्य के कानूनी अधवा प्रशासनिक प्रधा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना :
 - १सं १ ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;
 - है ग है ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृक्तिक संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सचना

क्सूली सहायता

- उन करों की वस्ती में संविदाकारी राज्य एक दूसरे को सहायता देने का वचन देते हैं जो इस अभिसमय में "राजस्व दावे" के रूप में इस अनुस्केद में उहेलिंगत ऐसे करों से संबंधित ब्याज, लागत त्रित्री सिविल शास्तियों से संबंधित हैं।
- 2. राजस्व दांचे की वसूली में संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहायता के लिए उन्हें में ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस बात का प्रमाण-पत्र भी शामिल होगा कि उस राज्य के कानून के अधीन दावा किया गया राजस्व अंतिम इप से निर्धारित कर लिया गया है । इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ दावा किया गया राजस्व अंतिम इप से तब निर्धारित कर लिया जाता है जब किसी संविदाकारी राज्य को उसके आन्तरिक कानून के अंतर्गत राजस्व दावे की वसूली करने का अधिकार हो और कर दाता को ऐसे कर रोकने का कोई अधिकार नहीं हो ।
- 3- इस अनुद्धिद के अनुसरण में सीवदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी दारा वसूल की गई राशि दूसरे सीवदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अग्रीधित कर दी जाएगी । तथापि, प्रथमोहिलिखित सीवदाकारी राज्य दानीर राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच परस्पर सहमित की सीमा तक रेसी सहायता प्रदान करने के दौरान उपगत लागत की, र्याद कोई हो, प्रतिपूर्ति हेतु हकदार होगा ।
- 4. इस अनुरहेद में किसी भी बात का अर्थ दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य पर उन प्रशिष्ठांनक उपयों से भिन्न स्वरूप के प्रशासनिक उपय की बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा जो कि उसके स्वयं के करों की बसूली में प्रयुक्त किए जाते हैं अथवा जो उसकी सार्वजनिक नीति के प्रतिकृत हैं।

अनुदृष्टेद - 28 राजनियक और कैंसुती अधिकारी

इस अभिममय की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रिय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अधवा विशेष करारों के उपलंधों के अंतर्गत राजनीयक अधवा कौंसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

बनुच्छेद - 29

प्रॅंक्त होना ं

- 1. दोनों संविदाकारी राज्य इस अधिसमय को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित कार्यविधियों को पूरा किए जाने के बारे में एक दूसरे को अधिस्चित करेंगे ।
- 2• यह अभिसमय इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद में प्राप्त की राई अधिसूचना के 30 दिन बाद से लागू होगा ।
- उस अभिसमय के उपलंध निम्निसित रूप से प्रमायी होंगे :
 - १क१ मारत में जिस केलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके वाद वाले अगले अप्रैल महीने के पहले दिन को अधवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में ; और
 - । मोरक्को में जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके बाद आगमि।

 कैलेण्डर वर्ष के जनवरी महीने के पहले दिन अधवा उसके बाद उद्भृत होने वाली आय के

 संवंध में ।

समापन

किसी सींवदाकारी राज्य दारा समाप्त कर दिए जाने तक यह अभिसमय अनिश्चित समय तक लागू होगा । दोनों में से कोई भी एक सींवदाकारी राज्य इस अभिसमय के लागू होने की तारील से पांच वर्ष की अविध समाप्त हो जाने के पश्चात आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की अविध समाप्ति से कम से कम एक महीने पहले राजनीयक माध्यमीं से समापन की सूचना देकर इस अभिसमय को समाप्त कर सकता है । ऐसी परिस्थित में यह अभिसमय निम्निलिखत के संबंध में निष्ण्रभावी हो जाएगा :

्रैक् भारत में जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है उसके बाद आगाभी औप्रल महीने के पहले दिन को अधवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ;

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोडरताङ्कारियों ने वर्तमान अभिसमस्य पर इस्तावर किप हैं।

रबीत में वर्ष एक हजार नो सी अन्हीनव के अन्हें करें माह के विन्दी, अरबी, अंग्रेजी और पैंच भाषाओं में बो-दो प्रतियों में निरूपन किया गया तथा इसके चारों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्ध-निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा ।

R. Jaman Jamon

भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से

१के - पम - आर • जनार्दनन १

की ओर से

≬फतल्लाह ओवासाली **≬**

अधिपूचना संख्या एवं तारीसः १(273 फा·सं· 503/9/91-वि·क·प्र·

संयुक्त सांचव